



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 952]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2009/आषाढ़ 1, 1931

No. 952]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2009/ASADHA 1, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2009

का.आ. 1523(अ).—तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

(क) न्यायमूर्ति ए. के. राजन —अध्यक्ष
(मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश),
नं. 5 (एस 79), गली नं. 16, अन्नागर,
चेन्नई-600040

(ख) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

निदेशक, —सदस्य
केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई
तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

(ग) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

श्री पी. मादेश्वरन —सदस्य
वैज्ञानिक "ई"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
ब्लॉक नं. 12, सीजीओ, कॉम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

(घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :

पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली —सदस्य
के प्रतिनिधि, (पर्यावरण और वन मंत्रालय
द्वारा नामित किया जाना है)

(ङ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), —सदस्य
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,
कृषि मंत्रालय द्वारा नामित

(च) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :

अध्यक्ष, —सदस्य
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
कोच्ची-वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि,
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित

(छ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :

(1) श्री पीताम्बर एम. टंडेल, 759, —सदस्य
सरकारी कला एवं विज्ञान कॉलेज के सामने,
करवार, कर्नाटक

(2) अपर मुख्य सचिव (मात्स्यिकी), —सदस्य
केरल सरकार,
तिरुवनन्तपुरम

(3) प्रमुख सचिव, —सदस्य
मात्स्यिकी एवं पशु संसाधन विकास,
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर

(4) विकास आयुक्त-सह-सचिव (मात्स्यिकी) —सदस्य
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय,
पोर्ट ब्लेयर-744101

(ज) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अंतर्गत
निर्दिष्ट सदस्य:

डॉ. आर. पाल राज, —सदस्य सचिव
तटीय जलकृषि प्राधिकरण,
दूसरा तल, शास्त्री भवन एनेक्सी,
26, हेड्डो रोड, चैन्नई-600006

[फा. सं. 33036/6/2008-मा. (टी-2)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2009

S.O.1523(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (I) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoint the following person to be the Chairperson and Members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act:

(a) Justice Shri A.K. Rajan, —Chairperson
(Retired Judge of the Madras High Court),
No. 5 (S-79), 16th Street,
Annanagar, Chennai- 600 040.

(b) Member appointed under clause (b) of sub-section
(3) of section 4:

Director, —Member
Central Institute of Brackishwater Aquaculture,
Chennai, Expert in the field of Coastal
aquaculture.

(c) Member appointed under clause (e) of sub-section
(3) of Section 4:

Shri P. Madeswaran —Member
Scientist "E"
Ministry of Earth Sciences,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

(d) Member referred to in clause (d) of sub-section
(3) of Section 4:

Representative of the Ministry —Member
of Environment and Forest, New Delhi
(to be nominated by the Ministry of
Environment and Forests.).

(e) Member referred to in clause (e) of sub-section
(3) of section 4:

Joint Secretary (Fisheries) —Member
Representative of the Ministry
of Agriculture, New Delhi nominated
by the Ministry of Agriculture.

(f) Member referred to in clause (f) of sub-section
(3) of Section 4 :

Chairman, —Member
Marine Products Export Development
Authority, Kochi
Representative of the Ministry of Commerce,
Nominated by the Ministry of Commerce.

(g) Representative of Coastal States and Union
Territories appointed under clause (g) of sub-
section (3) of Section 4 :

(i) Shri Pitambar M. Tandel, 759, —Member
Opp. Government Arts and Science
College, Karwar, Karnataka.

(ii) Additional Chief Secretary —Member
(Fisheries), Government of Kerala,
Thiruvananthapuram.

(iii) Principal Secretary, —Member
Fisheries and Animal Resources
Development, Government of Orissa,
Bhubaneswar.

(iv) Development Commissioner- —Member
cum-Secretary (Fisheries),
Andaman and Nicobar
Administration Secretariat,
Port Blair-744 101.

(h) Member referred to in clause (h) of sub-section
(3) of Section 4:

Dr. R. Paul Raj, —Member
Coastal Aquaculture Authority, Secretary
2nd Floor, Shastri Bhawan Annexe,
26, Haddow's Road, Chennai-600 006.

[F. No. 33036/6/2008-Fy. (T-2)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.